Himachal Pradesh
Board of School Education
Dharamshala, Himachal Pradesh

क्रमांक: हि०शि०बो०(31) हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय प्रशासन/16350 – 399 दिनांक:-28-05-2024

अधिसूचना

अधिसूचित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1968 की धारा 19(3) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय (HPSOS) के तहत कक्षा दसवीं और जमा दो के अन्तर्गत विशेष अंक सुधार परीक्षा (Special Marks Improvement Exam) का पुनः आयोजन करने के सहर्ष आदेश प्रदान किए हैं। इस परीक्षा के संचालन से सम्बन्धित नियमों/मापदण्डों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

1. हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय के तहत विशेष अंक सुधार की परीक्षा का आयोजन केवल सितम्बर माह में ही करवाया जायेगा।
2. हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय के तहत विशेष अंक सुधार परीक्षा हेतु पंजीकृत परीक्षार्थी केवल तीन बार ही परीक्षा दे सकता है जिसके लिए परीक्षार्थी को हर बार वांछित परीक्षा शुल्क के साथ आवेदन करना अनिवार्य होगा।
3. यदि परीक्षार्थी को तीनों अवसरों का लाभ लेना हो तो उसे लगातार तीनों अवसरों में परीक्षा देना अनिवार्य होगा। किसी एक अवसर में परीक्षा नहीं देने के फलस्वरूप वह अवसर स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।
4. हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय के तहत विशेष अंक सुधार की परीक्षा का आयोजन केवल ऐसे परीक्षार्थियों के लिए किया जाएगा जिन्होंने अपनी दसवीं/जमा दो कक्षा की परीक्षा हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय और हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण की हो।
5. ऐसे जमा दो कक्षा के परीक्षार्थी जिन्होंने अपनी परीक्षा सत्र 2002 से पूर्व या केवल 4 विषयों सहित उतीर्ण की है उन्हें हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय के तहत विशेष अंक सुधार की परीक्षा में पुराने Scheme of Studies अनुसार केवल 4 विषयों में ही वर्तमान समय में प्रचलित पाठ्यक्रम अनुसार ही परीक्षा देनी होगी। इस बारे में आई० टी० शाखा को ऑनलाइन नामांकन/पंजीकरण प्रणाली में आवश्यक प्रावधान की व्यवस्था करेंगे।
6. ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने पूर्व में हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय के माध्यम से विशेष अंक सुधार परीक्षा दी है या नियमित परीक्षार्थी के रूप में अंक सुधार परीक्षा के तहत परीक्षा दी है वह पुनः इस परीक्षा के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे।

इस परीक्षा में केवल ऐसे विषयों में ही अंक सुधार किया जा सकता है जिसमें कि परीक्षार्थी पहले ही उतीर्ण घोषित हुआ हो।

8. इस परीक्षा में विषय और संकाय परिवर्तन का लाभ नहीं दिया जाएगा।
9. प्रायोगिक विषयों की परीक्षा में परीक्षार्थी को लिखित और प्रायोगिक दोनों मे परीक्षा देना अनिवार्य होगा।
10. इस परीक्षा में NSQF के तहत प्रचलित विषयों में परीक्षार्थियों को आवेदन करने के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
11. इस परीक्षा का आयोजन वर्तमान समय में प्रचलित पाठ्यक्रम के अनुसार ही होगा।
12. इस परीक्षा में परीक्षार्थियों को अपना मूल प्रमाण पत्र सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र में आवश्यक रूप से जमा करवाना होगा।
13. विशेष अंक सुधार परीक्षा में TOC का लाभ मूल परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर ही दिया जाएगा।
14. यदि परीक्षार्थी इस परीक्षा में 1 से अधिक (2 या 3) बार परीक्षा देता है तो TOC (Transfer of Credit) का लाभ मूल परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर देने उपरांत परीक्षार्थी द्वारा विशेष अंक सुधार परीक्षा में प्राप्त सबसे अधिक अंक वाले परीक्षा परिणाम का ही लाभ दिया जाएगा।
15. पात्र परीक्षार्थियों को इस परीक्षा में आवेदन करते समय अपने मूल प्रमाण पत्र की प्रति ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड़ करना अनिवार्य होगा।
16. यदि परीक्षार्थी कोई भी तथ्य बोर्ड कार्यालय से छुपाता है तो परीक्षा परिणाम में देरी या परीक्षा परिणाम रद्द होने के लिए वह स्वंय जिम्मेदार होगा।
17. इस परीक्षा में परीक्षार्थी के अंको में वृद्धि होने पर परीक्षा परिणाम PRC 'Previous Result Cancelled' (नये अंकों सहित) और अंको में वृद्धि नहीं होने पर PRS' Previous Result Stand' घोषित किया जाएगा।
18. इस परीक्षा में केवल Re - checking की सुविधा होगी Re - evaluation की सुविधा इस परीक्षा में नहीं होगी।
19. इस परीक्षा के लिए दसवीं और जमा दो कक्षा के छात्रों के लिए अलग अनुक्रमांक जारी किए जाएंगे और तीनों अवसर के लिए वही अनुक्रमांक मान्य होगा।
20. हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय के तहत विशेष अंक सुधार परीक्षा के लिए समस्त आवेदकों को परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा करवाना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की छूट का लाभ इस परीक्षा में नहीं दिया जाएगा। हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय के तहत विशेष अंक सुधार परीक्षा के परीक्षा शुल्क का निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया है:-

Attempts	Fee (₹) For Theory	Fee (₹) Practical	Remark
1st	₹ 1500 Per subject	₹ 250 per Subject	Roll number will remain same for all the three attempts.
2nd	₹ 2000 Per subject	₹ 350 per Subject	
3rd	₹ 2500 Per subject	₹ 450 Per subject	

21. विशेष अंक सुधार परीक्षा के तहत आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों की पात्रता की जांच करने का पूर्ण उतरदायित्व सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र के समन्वयक/प्रभारी का होगा।
22. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (4.37) के दिशानिर्देशों की अनुपालना में भी विशेष अंक सुधार परीक्षा के आयोजन का निर्णय लिया जाता है।
23. इस परीक्षा का आयोजन प्रत्येक वर्ष सितम्बर माह में ही करवाया जाएगा। इस परीक्षा के आयोजन को सफल/सुचारू/पारदर्शी एवम् उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करने के उद्देश्य से इसकी सम्पूर्ण प्रकिया (पंजीकरण से परीक्षा परिणाम घोषित होने व मूल प्रमाण पत्र प्रेषित करने तक) दसवीं और जमा दो नियमित परीक्षा शाखाओं के माध्यम से ही संचालित करवाई जाएगी क्योंकि सितम्बर माह में इन कक्षाओं में कार्य अपेक्षाकृत HP SOS शाखाओं से कम होता है और HP SOS शाखाएं इस समय सामान्य परीक्षा से सम्बन्धित परीक्षा संचालन के कार्यों में अति व्यस्त होती है।
24. हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय के अन्तर्गत विशेष अंक सुधार परीक्षा के तहत परीक्षा देने के उपरांत पुराने अंको में बढोतरी होती है तो सम्बन्धित परीक्षार्थी को हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय नया मूल प्रमाण पत्र नए परीक्षा सत्र और अनुक्रमांक(पुराने और नए) सहित जारी करेगा जोकि पूर्ण रूप से वैध और मान्य होगा।
25. विशेष अंक सुधार परीक्षा में TOC का लाभ मूल परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर ही दिया जाएगा। इसके लिए सम्बन्धित परीक्षा शाखा परीक्षार्थी का पूरा विवरण अपने पास सुरक्षित रखेगी।
26. इस परीक्षा के लिए अलग मूल प्रमाण पत्र का प्रारूप तैयार किया जाए जिसमें कि नए अनुक्रमांक सहित पुराने अनुक्रमांक और परीक्षा सत्र को अवश्य रूप से दर्शाया जाए।
27. विशेष अंक सुधार परीक्षा में आवेदन करने के लिए आई० टी० शाखा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र का डिजाईन इस परीक्षा हेतु निर्धारित पात्रता के अनुरूप होने के साथ भाषा को सरल एवम् स्पष्ट रखना सुनिश्चित करें।
28. इस परीक्षा में दसवीं और जमा दो कक्षा के छात्रों के लिए अलग अनुक्रमांक सीरीज़ का प्रयोग किया जाए ताकि इन परीक्षार्थियों की पात्रता आदि जांचने में मदद् मिल सके।
29. हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय/हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड दसवीं और जमा दो नियमित परीक्षा शाखाएं विशेष अंक सुधार के तहत अंको में बढौतरी होने पर पुराने मूल प्रमाण

पत्र को बोर्ड कार्यालय में जमा करवाने के लिए सम्बंधित परीक्षार्थियों से पत्राचार आवश्यक रूप से करें।

डा०(मेज़र)विशाल शर्मा, हि०प्र०से०
सचिव

पृष्ठांकन संख्या: हि०शि०बो०(31) हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय प्रशासन/16360-399 दिनांक:- 28 -05-2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. सचिव(शिक्षा), हि0 प्र0 सरकार, शिमला–171002।
2. निदेशक, उच्चतर शिक्षा, हि0 प्र0, शिमला 171001।
3. सहायक सचिव/निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष/सचिव, हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
4. अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव/समस्त उप–सचिव/सहायक सचिव, हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
5. हि0 प्र0 राज्य मुक्त विद्यालय के अध्ययन केन्द्रों में तैनात समस्त समन्वयकों को उपरोक्त वर्णित अनुसार आगामी कार्यवाही करने हेतु।
6. अनुभाग अधिकारी सामान्य शाखा हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को इस आश्य के साथ प्रेषित है कि आगामी बोर्ड़ बैठक में उक्त निर्णय को संपुष्टि हेतु प्रस्तुत करें।
7. अनुभाग अधिकारी दसवीं/जमा दो हि0 प्र0 राज्य मुक्त विद्यालय परीक्षा शाखा को उपरोक्त अधिसूचना अनुसार आगामी कार्यवाही करने हेतु।
8. अनुभाग अधिकारी आई0 टी0 शाखा हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को उपरोक्त अधिसूचना में वर्णित बिंदुओं अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र तैयार करने व उसे सक्रिय करने बारे कार्यवाही अमल में लाने हेतु।

डा०(मेज़र)विशाल शर्मा, हि०प्र०से०
सचिव